भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

PGS-INDIA ORGANIC

जैविक खाद्य और प्रमाणीकरण

जैविक भारत

राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र
हापुड़ रोड, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद २०१००२

जैविक खेती क्या है ?

जैविक खेती शब्द का अर्थ है-- कृत्रिम खादों, हार्मोनों, एलोपैथिक दवाओं और कीटनाशकों जैसे सिंथेटिक मानव निर्मित आदानों (इनपुटों) के उपयोग के बिना पौधों का पोषण अथवा पशुपालन करना ।
फसलों की जैविक खेती और जैविक पशुपालन न केवल सुरक्षित है, और स्वस्थ भोजन देता है, बल्कि सभी जीवों का हित सुनिश्चित करने के लिए पारिस्थितिक रूप से भी टिकाऊ व्यवस्था है।

भारत सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन

जैविक खेती से लाभ लेने एवं मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने के साथ-साथ कीटनाशक अवशेषों से मुक्त गुणवत्तापूर्ण खाद्य सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (MOVCDNER), परमपरागत कृषि विकास योजना (PKVY), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), एकीकृत बागवानी विकास मिशन(एमआईडीएच), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अन्तर्गत जैविक खेती नेटवर्क प्रोजेक्ट(एनपीओएफ), नमामी गंगा- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन तथा राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना (एनपीओएफ) नामक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

जैविक भोजन क्या है ?

जैविक भोजन का अर्थ है कि-- किसी भी प्रकार का भोजन या उसका 'कच्चा माल' (जैसे अनाज, तेल, मसाले आदि) किसी भी सिंथेटिक मानव निर्मित इनपुट, जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक, हार्मोन, एंटीबायोटिक्स आदि का उपयोग किए बिना प्राकृतिक रूप में उत्पन्न किया जाता है । जैविक खेती में आनुवंशिक रूप से रुपांतरित बीजों (जीएमओ) का उपयोग भी निषिद्ध है।

जैविक भोजन ही क्यों

चूंकि प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को प्राकृतिक आदानों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उगाया, उत्पादित और प्रसंस्कृत किया जाता है, इसलिए यह रासायनिक अवशेषों से बिल्कुल मुक्त होता है, और इसमें सभी मैक्रो एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलन रहता है तथा मवेशियों और मनुष्यों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ माना जाता है।

जैविक भोजन रोगो से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने और शरीर तंत्र की कमियों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है।

जैविक भारत

यह एकीकृत चिन्ह गैर-जैविक से जैविक उत्पादों को अलग पहचानने के लिए, भारत में निर्मित जैविक फूड की सरल पहचान के लिए, नीचे की ओर जैविक भारत की टैगलाइन के साथ है । यह चिन्ह एनएसओपी के अनुरूप होने का संकेत देता है।

मैं मार्केट में जैविक फूड की पहचान कैसे कर सकता हूँ

जैविक फल, सब्जियां और अन्य उत्पाद देखने में समान लगते हैं। ऐसी स्थिति में, बाजार में जैविक खाद्य की पहचान करने के लिए एकमात्र तरीका इसके प्रमाणीकरण और गुणवत्ता चिह्न (LOGO) की जॉच करना है।

खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक खाद्य पदार्थ) विनियम, 2017, के अनुसार, सभी जैविक खाद्य पदार्थों पर अपने प्रमाणीकरण चिन्ह के साथ-साथ JAIVIK BHARAT का चिन्ह (LOGO) अवश्य होना चाहिए।

प्रमाणीकरण क्या है

जैविक प्रमाणीकरण एक प्रमाणन प्रक्रिया है जिसमें आम तौर पर उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा शिपिंग से संबंधित उत्पादन मानकों का एक सेट होता है । इसमें निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है:-

- सिंथेटिक रासायनिक आदानों (जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक, हार्मोन, एंटीबायोटिक्स, खाद्य योजक, आदि) और जीएमओ से बचावय
- विस्तृत लिखित उत्पादन एवं बिक्री रिकार्ड अनुरक्षण (आडिट ट्रेल)य
- गैर-प्रमाणित उत्पादों से जैविक उत्पादों को पूर्णतया अलग रखना
- साइट पर समय-समय पर निरीक्षण करना।

प्रमाणीकरण का उद्देश्य

प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानक (NSOP) के अनुसार उत्पादन या प्रसंस्करण को विनियमित करने और उपभोक्ताओं को असली व गुणवत्तायुक्त जैविक उत्पादों की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किया जाता है।

प्रमाणीकरण सिस्टम

भारत में दो जैविक प्रमाणीकरण सिस्टम मौजूद हैं। हालाँकि दोनों प्रणालियाँ समान राष्ट्रीय मानकों पर आधारित हैं, लेकिन सत्यापन और प्रलेखन के लिए ये अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं।

(क) निर्यात के उद्देश्य से जैविक उत्पादन (एनपीओपी) हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, और

(ख) घरेलू और स्थानीय बाजारों के लिए सहभागिता गारंटी प्रणाली (पीजीएस)।

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) प्रमाणीकरण

एनपीओपी प्रमाणीकरण एक प्रकार का थर्ड-पार्टी प्रमाणन है जिसके द्वारा किसी मान्यताप्राप्त जैविक प्रमाणन एजेंसी द्वारा कृषि उपज के खेत या प्रसंस्करण को राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय जैविक मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाता है। एनपीओपी प्रमाणीकरण को कृषि प्रसंस्कृत खाद्य और निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा प्रचालित किया जाता है।

यह चिन्ह भारत में निर्मित, जैविक खेती द्वारा उत्पन्न उत्पादों के लिए प्रमाण पत्र है। प्रमाणन चिह्न प्रमाणित करता है कि खाद्य उत्पाद एनएसओपी के अनुरूप है।

भारत सहभागिता गारंटी सिस्टम (पीजीएस-इंडिया) प्रमाणीकरण

सहभागिता गारंटी सिस्टम (पीजीएस-इंडिया) एक स्थानीय गुणवत्ता संबंधी आश्वासन प्रणाली है जो विश्वास, सामाजिक नेटवर्क और जानकारी के आदान-प्रदान की नींव पर आधारित है। जैविक कृषि के मामले में, पीजीएस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग समान स्थितियों में (इस मामले में उत्पादक) एक दूसरे की उत्पादन प्रथाओं (production practice) का मूल्यांकन, निरीक्षण और सत्यापन करते हैं तथा सामूहिक रूप से समूह की संपूर्ण होल्डिंग को जैविक घोषित करते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा सचिवालय के रूप में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र (एनसीओएफ) के माध्यम से सहभागिता गारंटी प्रणाली (PGS-India) को संचालित किया जाता है।

PGS-INDIA ORGANIC

यह चिन्ह ऐसे कृषि क्षेत्रों से प्राप्त उत्पादों की पहचान है जो पूरी तरह से जैविक में परिवर्तित हो चुके हैं। प्रमाणन चिह्न प्रमाणित करता है कि जैविक खाद्य उत्पाद एनएसओपी के अनुरूप है।

PGS-INDIA GREEN

यह चिन्ह जैविक रूपांतरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत कृषि क्षेत्रों से प्राप्त उत्पादों की पहचान है। प्रमाणन चिह्न प्रमाणित करता है कि खाद्य उत्पाद एनएसओपी के अनुरूप है।

कुल 6.46 लाख हेक्टेयर भूमि और 10.12 लाख किसानों को पीजीएस-इंडिया प्रमाणन के तहत, और 9.12 लाख हेक्टेयर भूमि तथा लगभग 15 लाख किसानों को एनपीओपी प्रमाणन के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

जैविक उत्पादों पर जैविक चिन्ह (LOGO) की लेबलिंग

PGS-INDIA GREEN

सुरक्षित खाद्य पदार्थ

(विक रुपांतरणाधीन खेत से प्राप्त उत्पाद)

जैविक भारत

PGS-INDIA ORGANIC

जैविक

(पूर्णतया जैविक खेत से प्राप्त उत्पाद)

या

जैविक भारत

India Organic

जैविक

(पूर्णतया जैविक खेत से प्राप्त उत्पाद)

राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के बारे में

राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र (एनसीओएफ) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के अन्तर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल एजेंसी है जो अपने नौ क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ निम्न मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यरत है:-

- मानव संसाधन विकास सहित सभी हितधारकों की तकनीकी क्षमता निर्माण द्वारा देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करना ।
- प्रौद्योगिकी प्रसार एवं स्ट्रेन-आपूर्ति।
- उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ, 1985) के अन्तर्गत जैव-उर्वरकों और जैविक खादों का सांविधिक गुणवत्ता नियंत्रण।
- जैविक प्रमाणीकरण संबंधी कम-लागत वाली सहभागिता प्रणाली को प्रोत्साहित करना ।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता और प्रचार करना ।

Contact:

राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र

हापुड़ रोड, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद २०१००२

0120-2764906, 2764212

ईमेल: nbdc@nic.in

वेबसाइट: http://ncof.dacnet.nic.in